COURT FEE भारत INDIA 1 Rs. एक रुपया ONE RUPEE | COURT FEE INDIA 2 Rs. TWO RUPEES | COURT FEE भारत INDIA 10 Rs. दस रुपये TEN RUPEES

CANCELLED CANCELLED

(27)

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म•प्र• ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /08-09 निगरानी R 917-पी/08

सहादेव चर्मकार पुत्र श्री बुद्धा, आयु-72 वर्ष
व्यवसाय-खेती, निवासी- ग्राम रैहट (रसेगी)
तहसील हुजूर जिला रीवा म•प• --प्रार्थी

बनाम

1•म•प्र• शासन जरिये कलेक्टर रीवा•
2• चन्द्रवती बेवा स्व• श्री गिरधारी प्रसाद
निवासी- ग्राम रहट (रसेगी) तहसील
हुजूर जिला रीवा म•प्र• --प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म•प्र• भू राजस्व संहिता 1959 प्रकरण क्रमांक 772/99-2000 अपील आदेश 11 -12-06 न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा पीठासीन अधिकारी श्री बी•के• सिंहणी

द्वारा आज दि० 22/08/08 को प्रस्तुत
अधीक्षक राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य :-

संक्षेप में कहानी इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता प्रार्थी विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 293 के रकबा 0•14 हैक्टे0 पर न्यायालय नायब तहसीदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 47/अ 6अ /89-90 आदेश दिनांक 15-10-90 से मौके की स्थिति (मकान प्रार्थी का बना होते से) के अनुसार वर्ष 1984 -85 से कब्जे की इन्द्राजी विधीवत दर्ज की गई है तथा वर्ष 1979 मे सर्वे क्र• 293 रकबा 0•14 हैक्टे० की कीमत 1800/ रुपया द्वारा प्रतिप्रार्थी क्र• 2 प्रार्थी के पुत्रगण से प्राप्त भी कर

22/8/08 (K.N. Mopanwar)

9/8/08
शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

इस बिन्दु पर सिविल न्यायालय में भी आराजी नंबर

D.T.O.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 917–तीन / 2008 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2015	प्रकरण वर्ष 2009 से प्रचलित है। आज दिनांक को आवेदक एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पेशी दिनांक 14–2–2013 तक आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित होते रहे। उसके पश्चात चार पेशियों में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पेशी दिनांक 22–11–13 एवं 10–2–2014 को आवेदक स्वतः उपस्थित रहा एवं आगामी तिथि नोट की। दिनांक 10–2–2014 को अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक भी उपस्थित थे। दिनांक 10–2–2014 के पश्चात एक साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आवेदक तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों की प्रकरण में रूचि नहीं है। अतः उक्त आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	